वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ii) विदेश संचार निगम लिमिटेड, आधुनिकीकरण एवं विकास परियोजनाओं के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के वाणिज्यिक ऋण के बारे में बातचीत कर रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन न किया जाना

134 . **श्री ईश दत्त यादव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि होने का मुख्य कारण सरकार की प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीतियों का कार्यान्वयन न किया जाना है,

(ख) यदि हां, तो इन नीतियों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने की दृष्टि से सरकार इन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस उपाय कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) प्रदूषण में वृद्धि के मुख्य कारण मुख्यतया उद्योगों से तरल बहिस्रावों तथा गैसीय उत्सर्जनों के निपटान तथा नगरीय मलजल तथा घरेलू अपशिष्टों के अंधाधुंध निपटान के कारण होता है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। सरकार ने देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए हैं। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है:—

1. उद्योगों को स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है ताकि अपशिष्टों का सृजन कम हो।

2. सल्फर डाईआक्साइड उत्सर्जनों को रोकने के लिए कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों और चार महानगरों को अल्प-सल्फर डीज़ल मुहैया कराया जायेगा।

3. केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। देश में ऐसे 24 क्षेत्रों की पहचान की गई है;

4. प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

5. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ऐसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करें तथा दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

6. वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अन्तर्गत यानीय उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानक अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।

7. मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

8. दिल्ली, बुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार महानगरों में कैटेलिटिक कन्वर्टर्स युक्त कारों के लिए 1.4.1995 से सीमा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

9. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

10. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

11. प्रदूषण नियंत्रण / निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है।

12. लघु औद्योगिक समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

13. गंगा कार्य योजना चरण-1 पूरी होने को है तथा सरकार ने गंगा कार्य योजना चरण-2 के अन्तर्गत यमुना और गोमती कार्य योजनाएं मंजूर की हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय नदी कार्य योजना को भी अनुमोदित कर दिया है जिसके तहत प्रदूषित नदी के उन अभिनिर्धारित

क्षेत्रों को लिया जाएगा जो गंगा कार्य योजना चरण-1 और 2 के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

14. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और मोटर गाड़ियों के अलावा अन्य स्रोतों से शोर प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रक्रिया संहिताएं तैयार की हैं। इनमें सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, वायुयान आपरेशन, रेलवे आपरेशन, निर्माण गतिविधियां तथा पटाखे फोड़ना शामिल हैं। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे संगत स्थानीय अधिनियमों के अलावा इन प्रक्रिया संहिताओं को कार्यान्वित करें।

MOUs Signed with private/Foreign Companies for Oil Exploration

135. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have signed any MOUs with Private Sector including foreign ones in refining, exploration and development of oil fields during the last two years, 1994-95 and 1995-96 till to-date; if so, the details thereof (country-wise); and

(b) how far Government are successful in stepping up exploration production activities in the country particularly in promoting conservation of petroleum products indicating which company bagged award for oil conservation this year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) The Government of India has signed the following contracts for exploration blocks and for the development of medium and small sized fields;

Name of Company	Exploraton Block
Shell International, Netherlands.	RJ-ON-90/1 in Rajasthan basin.
Consortium of HOEC of India, Vaalco Energy Inc. of USA and Tata Petrodyne of India.	CY-OS-90/1 in Cauvery offshore basin.

	Name of Company/Consortium	Fields (Small sized)
1.	Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. (GSPC). Niko Resources, Canada.	Hazira, Cambay Bhandut, Matar & Sabarmati.
2.	Selan Exploration Technology Ltd., India.	Indrora, Bakrol & Lohar.
3.	Larsen & Tourbo, India Joshi Technologies, USA.	Dholka, Wavel.
4.	Interlink Petroleum Ltd. India.	Baola
5.	HOEC, India-Mosbacher Energy Co., USA-Petrodyne Inc., USA.	PY-1
6.	HOEC, India-GSPC, India-Petrodyne Inc. USA.	Asjol
		(Medium sized)
1.	Enron, USA-Reliance Industries.	Mid & South Tapti, Mukta and Panna.
2.	Command Petroleum, Australia-Videocon, India-Marubeni, Japan.	Ravva.
3.	Compagnie Geofinanciere, France-Ennpro Services, India.	Kharsang.